<u>अति तत्काल</u>

सं. जी-25020/1/2012/परिपत्र-4/एमएफ-सीजीए/एफए/टीएस/645
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
चतुर्थ तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली - 110003

दिनांक: 17 अगस्त, 2012

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: वर्ष 2011-12 के संघ सरकार वित्त लेखे की विवरण सं. 4 को तैयार किया जाना ।

वर्ष 2011-12 के संघ सरकार वित्त लेख की विवरण सं. 4 को तैयार करने के लिए विस्तृत अनुदेश और सूचना प्रस्तुत किए जाने का फार्मेट संलग्न हैं ।

2. **सभी मुख्य लेखा नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों/उप लेखा नियंत्रकों और संघ राज्य क्षेत्रों के लेखे प्रस्तुत करने वाले महालेखाकारों से भी अनुरोध है कि वे वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे की विवरण सं. 4 की सामग्री 31.8.2012 तक अवश्य प्रस्तुत करें अन्यथा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की पूरी प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी । यदि वर्ष 2011-12 के विवरण सं. 4 के संबंध में कुछ अथवा पूर्ण सूचना श्री वी प्रकाश,उप निदेशक (बजट) को उनके कार्यालय ज्ञापन सं. 12(9)-बी(एसडी)/2011 दिनांक 12 अप्रैल,2012 के संदर्भ में पहले प्रस्तुत कर भी दी गई है तो भी अपेक्षित सूचना इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर ऊपर दर्शाई गई नियत तारीख तक संलग्न फार्मेट के अनुसार प्रस्तुत की जानी है ।**

3. **प्रत्येक विवरण की दो प्रतियां साथ-साथ प्रत्यायित लेखा परीक्षा अधिकारी को भेजी जाए । विवरण सं. 4 की एक प्रति उप निदेशक (बजट), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भी बजट दस्तावेज/अनुदानों की मांग में शामिल करने के लिए भेजी जाए ।**

4. **विगत में यह पाया गया है कि इस कार्यालय में प्राप्त हुए विवरणों में प्राय: पूरी सूचना नहीं होती और वे टुकड़ों में प्राप्त होते हैं । इस कार्यालय द्वारा अधूरी सूचना के आधार पर तैयार किए गए समेकित विवरण को न केवल लेखा परीक्षा की प्रतिकूल टिप्पणियां मिलती हैं अपितु इससे लेखा परीक्षा द्वारा अन्य विवरणों को अंतिम रूप दिए जाने और निपटान में भी विलंब होता है । अत: यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली सभी इकाइयों के संबंध में पूरी सूचना इस कार्यालय को अधिसूचना सं. एस.ओ.**

2979(ई) दिनांक 20.12.2010 (प्रतिलिपि संलग्न) के पैरा 'ई' और 'एम' के अंतर्गत यथा अपेक्षित उपर्युक्त नियत तारीख तक एकमुश्त प्रस्तुत की जाए । यदि प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो भी शून्य रिपोर्ट अवश्य भेजी जाए ।

5. विवरण को संलग्न अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाना है और यह लेखा शीर्ष द्वारा हस्ताक्षरित और मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो ।

6. जैसा कि विवरण सं. 4 के लिए सामग्री प्रस्तुत करने की जांच सूची के क्रम सं. (iv) और (vii) में उल्लिखित है, यह सुनिश्चित किया जाए कि

(i) वर्ष के आरंभ में (कालम 3) गारंटियों की संख्या और गारंटियों की बकाया राशि पिछले वर्ष अर्थात् 31-3-2011 के अंत में गारंटियों की संख्या और गारंटियों की बकाया राशि के बराबर है, जैसा कि वर्ष 2010-11 के विवरण के कालम 8 में दर्शाया गया है । और

(ii) मंत्रालय/विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान "प्राप्त गारंटी शुल्क" की राशि (विवरण सं. 4 सरकार द्वारा दी गई गारंटियां के कालम 10 के अंतर्गत दर्शाए गए अनुसार) वित्त लेखे अनुभाग, महालेखा नियंत्रक कार्यालय को प्रस्तुत एससीटी/जेई में लेखा शीर्ष "0075-00-108-गारंटी शुल्क" के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग द्वारा बुक की गई राशि से मेल खाती है । और, जहां आंकड़े मेल नहीं खाते, वहां गारंटी की प्रत्येक श्रेणी/सेक्टर के संबंध में बदलाव के विस्तृत कारण स्पष्ट रूप से दिए जाने हैं ।

7. चूंकि वित्त लेखों को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य सर्वथा एक समयबद्ध प्रक्रिया है, इसलिए विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तारीख का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित किया जाए ।

(आशीष कुमार सिंह)
उप महालेखा नियंत्रक

संलग्न: यथोपरि ।

सेवा में,

1. भारत सरकार के अंतर्गत सिविल मंत्रालयों के सभी प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक/उप लेखा नियंत्रक।
2. उप महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (ए एंड ई), चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, 17 बेज बिल्डिंग, सेक्टर 17, चंडीगढ़ -160017
3. महालेखाकार, गुजरात अहमदाबाद - 380001
4. रक्षा लेखा महानियंत्रक (रक्षा), उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट - 110010
5. रक्षा लेखा महानियंत्रक (सिविल), उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट - 110010
6. सचिव, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. निदेशक (पीए-II), डाक भवन, सरदार पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
8. महानिदेशक, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
9. लेखा एवं बजट निदेशक, मुख्य भुगतान एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर - 744101
10. लेखा निदेशक, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र, दमन।
11. भुगतान एवं लेखा कार्यालय, लक्षद्वीप, कावारत्ती - 682555
12. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) दिल्ली, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली को संपूर्ण लेखापरीक्षा विभाग के संबंध में समेकित सूचना उपलब्ध कराने के लिए।
13. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
14. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, राज्य सभा संसदीय सौंध, नई दिल्ली।
15. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, लोक सभा संसदीय सौंध, नई दिल्ली।
16. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:-

1. अपर सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पाकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110124
3. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक - I, केंद्रीय राजस्व एजीसीआर भवन, नई दिल्ली।
4. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, एजीसीआर भवन, नई दिल्ली।
5. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, वैज्ञानिक विभाग, एजीसीआर भवन, नई दिल्ली।
6. लेखापरीक्षा केंद्रीय राजस्व महानिदेशक, वित्त लेखा अनुभाग, एजीसीआर भवन, नई दिल्ली।
7. लेखापरीक्षा महानिदेशक, रक्षा सेवाएं, एल-II ब्लॉक, ब्रासी एवेन्यू, नई दिल्ली - 1
8. लेखापरीक्षा महानिदेशक, पी एंड टी, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली - 110054
9. लेखापरीक्षा महानिदेशक, रेलवे, कमरा नं. 564-जी, रेल भवन, नई दिल्ली -110001
10. उप महालेखा नियंत्रक (सिस्टम्स ग्रुप), महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली को इस कार्यालय की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को व्यापक परिचालन के लिए अपलोड करने हेतु।
11. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर ।
12. लेखा अधिकारी, गवर्नमेंट लिंक सेल, प्रथम तल एनएस बिल्डिंग, वीसीए मैदान के सामने, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440001

विवरण सं. 4 को तैयार करने के लिए विस्तृत अनुदेश

प्रधान लेखा कार्यालयों को सिविल लेखे मैनुअल के पैरा 10.10 में शामिल अनुदेशों के अनुसरण में "याचित गारंटियों का रजिस्टर" का अनुरक्षण करने की आवश्यकता होती है इसे वित्त लेखों से संबंधित सामग्री की स्थानीय लेखा परीक्षा संचालित करते समय लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा । इसके अलावा, " गारंटी रजिस्टर" जिसका अनुरक्षण मंत्रालय की आई एफ ए शाखा द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है, को मांग किए जाने पर उस शाखा से प्राप्त करके लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

1. यह सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी एककों के संबंध में दिनांक 20-12-2010 की अधिसूचना सं. एस.ओ.2979(ई) के पैरा "ड." और "ड" के अंतर्गत यथापेक्षित संपूर्ण सूचना ऊपर सूचित देय तिथि तक एक बार में इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है । यदि प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो भी 'शून्य' रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाए । यह सुनिश्चित किया जाए कि गारंटियों से संबंधित सूचना लेखांकन संगठन (मुख्य लेखा नियंत्रक, लेखा नियंत्रक आदि) के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित और मंत्रालय/विभाग के संबंधित वित्तीय सलाहकारों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो ताकि विवरण में शामिल आंकड़े विधिमान्य हो सकें ।

2. सूचना गारंटियों के वर्ग से संबंधित 'प्रकटीकरण' ब्योरो' के साथ 'वर्ग-वार', 'क्षेत्र-वार' द्वारा सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाए ।

3. कृपया विवरण सं. 4 तैयार करने के लिए आंकड़े/सूचना करोड़ रुपयों में दो दशमलव संख्याओं तक तथा संलग्न प्रपत्र में बताए गए वर्गों और कॉलमों के अनुसार प्रस्तुत करें अर्थात् सूचना लाभार्थी कंपनियों/निगमों/पत्तन न्यासों आदि के नामों के बगैर मंत्रालय/विभाग-वार प्रस्तुत की जाए ।

4. यह सुनिश्चित करें कि संघ सरकार के वित्त लेखों में शामिल करने के लिए इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई गारंटियों से संबंधित सूचना बजट दस्तावेजों/अनुदान मांगों में शामि करने के लिए आपके मंत्रालय/विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग को प्रस्तुत किए गए आंकड़े से मेल खाती हो ।

5. बाह्य गारंटियों की राशि को भारतीय रुपयों में बदलते समय कृपया 31-03-2012 को विद्यमान विनिमय दर को अपनाएं और तदनुसार आंकड़ों को प्रस्तुत करें ।

6. कालम 9, 10 और 11 को छोड़कर गारंटियों की संख्या को प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत कोष्टकों में दर्शाएं ।

7. वर्ष 2011-12 के आंकड़ों को प्रस्तुत करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्ष के आरंभ में गारंटियों की संख्या और गारंटियों की बकाया राशि (कॉलम 3) आपके कार्यालय द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2010-11 के लिए विवरण के कॉलम सं. 8 में दर्शाए अनुसार पिछले वर्ष (अर्थात् 31-03-2011) के अंत में गारंटियों की संख्या और गारंटियों की बकाया राशि के बराबर हों ।

8. वर्ष के दौरान परिवर्धित अन्य गारंटियों को विवरण के कॉलम 4 में दिखाएं । इसे वर्ष के आरंभ में बकाया गारंटियों (कॉलम 3) में जोड़ना चाहिए और 'वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि' के लिए विवरण के कॉलम. 2 में दर्शाया जाना चाहिए ।

9. वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां (कॉलम 8) वर्ष के दौरान विलोपन (याचित के अलावा) (कॉलम 5) को घटाकर वर्ष के दौरान याचित उन्मोचित गारंटियों (कॉलम 6) को घटाकर वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि (कॉलम 2) का कुल जोड़ होना चाहिए ।

10. एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणी विवरण के संगत पृष्ठ पर सह-टिप्पणी/पाद-टिप्पणी में वर्ष के दौरान याचित गारंटियों के लिए अलग से उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

11. प्राप्त गारंटी कमीशन अथवा फीस (कॉलम 10) प्राप्य गारंटी कमीशन अथवा फीस (कॉलम 9) से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य किसी सूचना को भी फॉर्मेट के कॉलम 11 में नोट किया जाना चाहिए । वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्य गारंटी कमीशन अथवा फीस (कॉलम 9) की तुलना वर्ष 2010-11 के दौरान प्रस्तुत प्राप्य गारंटी कमीशन अथवा फीस से की जानी चाहिए ।

विवरण सं. 4 को प्रस्तुत करने के लिए जांच सूची

(i) राशियां दो दशमलव के साथ करोड़ रुपयों में प्रस्तुत की गई हैं ।

(ii) गारंटियों की संख्या प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत कोष्टक में ही नोट की गई है ।

(iii) राशि भारतीय रुपए में दी गई है और विदेशी मुद्रा की राशि को 31.03.2012 को विद्यमान विनिमय दर पर भारतीय रुपए में परिवर्तित किया गया है ।

(iv) वर्ष के आरंभ में (कालम 3) गारंटियों की संख्या और गारंटियों की बकाया राशि 2010-11 के विवरण के कॉलम 8 में दर्शाए गए अनुसार पिछले वर्ष के अंत में अर्थात् 31-3-2011 को गारंटियों की संख्या और गारंटियों की बकाया राशि के बराबर हैं ।

(v) गारंटी कमीशन अथवा प्राप्त शुल्क (कॉलम 10) गारंटी कमीशन अथवा प्राप्य शुल्क (कॉलम 9) से अधिक नहीं है । गारंटी कमीशन अथवा प्राप्य शुल्क (कॉलम 9) के आंकड़े प्रस्तुत करते समय, पिछले वर्ष (अर्थात 2010-11) के बकाया को भी शामिल करना चाहिए ।

(vi) विवरण सं. 4 की दो प्रतियां संलग्न हैं ।

(vii) यह सुनिश्चित किया गया है कि मंत्रालय/विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान "प्राप्त गारंटी शुल्क" (विवरण सं. 4 - सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के कॉलम 10 के अंतर्गत दर्शाए गए अनुसार) वित्त लेखे अनुभाग, महालेखा नियंत्रक कार्यालय को प्रस्तुत की गई एससीटी/जेई में लेखा शीर्ष "0075-00-108-गारंटी शुल्क" के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग द्वारा बुक की गई राशि के साथ मेल खाती है । और जहां भी दोनों आंकड़े मेल नहीं खाते वहां गारंटी की प्रत्येक श्रेणी/सेक्टर के संबंध में परिवर्तन के लिए विस्तृत कारण स्पष्ट किए गए हैं ।

हस्ताक्षर
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

मंत्रालय/विभाग के मुख्य/लेखा नियंत्रक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

विवरण सं. 4 का फॉर्मेट - सरकार द्वारा दी गई गारंटी

श्रेणी अथवा सेक्टर जिनके अंतर्गत संघ सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों (विधानमंडल वाले) के वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण निम्नानुसार किया जाना है:-

1. **गारंटियों की श्रेणी से संबंधित विवरण:-**

श्रेणी (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामत: भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलघन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के संबंध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां:-

(करोड़ रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीकृत राशि (कालम 3 + कालम 4)	वर्ष के आरंभ में बकाया (1-4-2011) के अनुसार)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोचन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)
1	2	3	4	5
कुल				

वर्ष 2011-12 के दौरान याचित		वर्ष के अंत में बकाया (अर्थात 31-3-2012 के अनुसार) (कालम 2 - कालम 5 - कालम - 6)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य तात्विक विवरण
उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

{नोट: गारंटियों की संख्या प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत कोष्टक में नोट की जानी चाहिए)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

श्रेणी (ii) शेयर पूंजी की पुनअर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए वांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

(करोड़ रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीकृत राशि (कालम 3 + कालम 4)	वर्ष के आरंभ में बकाया (1-4-2011) के अनुसार)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोचन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)
1	2	3	4	5
कुल				

वर्ष 2011-12 के दौरान याचित		वर्ष के अंत में बकाया (अर्थात 31-3-2012 के अनुसार) (कालम 2 - कालम 5 - कालम - 6)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य तात्विक विवरण
उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

{नोट: गारंटियों की संख्या प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत कोष्टक में नोट की जानी चाहिए)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

श्रेणी (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों,ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी,उनके द्वारा किए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों,निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:-

(करोड़ रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीकृत राशि (कालम 3 + कालम 4)	वर्ष के आरंभ में बकाया (1-4-2011) के अनुसार)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोचन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)
1	2	3	4	5
कुल				

वर्ष 2011-12 के दौरान याचित		वर्ष के अंत में बकाया (अर्थात 31-3-2012 के अनुसार) (कालम 2 - कालम 5 - कालम - 6)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य तात्विक विवरण
उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

{नोट: गारंटियों की संख्या प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत कोष्टक में नोट की जानी चाहिए)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

श्रेणी (iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:-

(करोड़ रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीकृत राशि (कालम 3 + कालम 4)	वर्ष के आरंभ में बकाया (1-4-2011) के अनुसार)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोचन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)
1	2	3	4	5
कुल				

वर्ष 2011-12 के दौरान याचित		वर्ष के अंत में बकाया (अर्थात 31-3-2012 के अनुसार) (कालम 2 - कालम 5 - कालम - 6)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य तात्विक विवरण
उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

{नोट: गारंटियों की संख्या प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत कोष्टक में नोट की जानी चाहिए)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

श्रेणी (v) **रेलवे/राज्य बिजली बोर्डों और अन्य संस्थाओं को कंपनियों अथवा निगमों द्वारा देय राशियों के समय पर भुगतान के लिए दी गई गारंटियां:-**

(करोड़ रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीकृत राशि (कालम 3 + कालम 4)	वर्ष के आरंभ में बकाया (1-4-2011) के अनुसार)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोचन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)
1	2	3	4	5
कुल				

वर्ष 2011-12 के दौरान याचित		वर्ष के अंत में बकाया (अर्थात 31-3-2012 के अनुसार) (कालम 2 - कालम 5 - कालम - 6)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य तात्विक विवरण
उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

{नोट: गारंटियों की संख्या प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत कोष्टक में नोट की जानी चाहिए)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

श्रेणी (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों अथवा परियोजनाओं पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

(करोड़ रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीकृत राशि (कालम 3 + कालम 4)	वर्ष के आरंभ में बकाया (1-4-2011) के अनुसार)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोचन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)
1	2	3	4	5
कुल				

वर्ष 2011-12 के दौरान याचित		वर्ष के अंत में बकाया (अर्थात 31-3-2012 के अनुसार) (कालम 2 - कालम 5 - कालम - 6)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य तात्विक विवरण
उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

{नोट: गारंटियों की संख्या प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत कोष्टक में नोट की जानी चाहिए)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

श्रेणी (vii) विदेशों में भारतीय कम्पनियों अथवा निगमों को दिए गए ठेकों अथवा परियोजनाओं पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

(करोड़ रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीकृत राशि (कालम 3 + कालम 4)	वर्ष के आरंभ में बकाया (1-4-2011) के अनुसार)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोचन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)
1	2	3	4	5
कुल				

वर्ष 2011-12 के दौरान याचित		वर्ष के अंत में बकाया (अर्थात 31-3-2012 के अनुसार) (कालम 2 - कालम 5 - कालम - 6)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य तात्विक विवरण
उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

{नोट: गारंटियों की संख्या प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत कोष्टक में नोट की जानी चाहिए)

हस्ताक्षर/
मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

श्रेणी (viii) कोई अन्य:-

(करोड़ रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीकृत राशि (कालम 3 + कालम 4)	वर्ष के आरंभ में बकाया (1-4-2011) के अनुसार)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोचन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)
1	2	3	4	5
कुल				

वर्ष 2011-12 के दौरान याचित		वर्ष के अंत में बकाया (अर्थात 31-3-2012 के अनुसार) (कालम 2 - कालम 5 - कालम - 6)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य तात्विक विवरण
उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

{नोट: गारंटियों की संख्या प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत कोष्टक में नोट की जानी चाहिए)

हस्ताक्षर/
मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

II संबंधित सेक्टरों के विवरण:-

1. **विद्युत**;
2. **सहकारिता**;
3. **सिंचाई**;
4. **सड़क और परिवहन**;
5. **राज्य वित्तीय निगम**;
6. **शहरी विकास और आवास**
7. **अन्य अवसंरचना**;
8. **अन्य कोई ।**

प्रत्येक श्रेणी के लिए सेक्टरवार प्रकटीकरण नीचे दिए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत किए जाने हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

श्रेणी और सेक्टर (कोष्टक के अंतर्गत गारंटियों की संख्या)	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि (कालम 3 + कालम 4)	वर्ष के आरंभ में बकाया (अर्थात् 1-4-2011) के अनुसार)	वर्ष 2011-12 के दौरान परिवर्धन	वर्ष 2011-12 के दौरान विलोपन (याचित के अलावा)
1	2	3	4	5
कुल				

वर्ष 2011-12 के दौरान याचित		वर्ष के अंत में बकाया (अर्थात 31-3-2012 के अनुसार) (कालम 2 - कालम 5 - कालम - 6)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य तात्विक विवरण
उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

{नोट: गारंटियों की संख्या प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत कोष्टक में नोट की जानी चाहिए)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

III. विवरण सं. 4 के प्रकटीकरण - वर्ष 2011-12 के दौरान संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामत: भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलघन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का त्तिपोषण करने और और कंपनियों, निगमो, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के संबंध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां:-

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष कि शुरूआत में निधि में शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में चर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रूपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशीयों मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वत: नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों क ब्योरे	अन्य महत्वपू ब्योरे
		(क)		(ख)		(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

(ii) शेयर पूंजी की पुनअर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए वांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष कि शुरूआत में निधि में शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में चर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीस रूपयों के रूप में मौजूद बाहय विदेशीयों मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वत: नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों क ब्योरे	अन्य महत्वपू ब्योरे
		(क)		(ख)		(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)

हस्ताक्षर
मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

(iii) भारत सरकार द्‌वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों विदेशी सरकारों,ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी,उनके द्‌वारा किए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों,निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिटके आधार परसामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:-

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष कि शुरूआत में निधि में शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में चर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रूपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशीयों मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वत: नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों क ब्योरे	अन्य महत्व ब्योरे
		(क)		(ख)		(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

(iv) **विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के समबन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:-**

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष कि शुरूआत में निधि में शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में चर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रूपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशीयों मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वत: नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों क ब्योरे	अन्य महत्वपू ब्योरे
		(क)		(ख)		(ग)	(घ)	(ङ.)	(च)	(छ)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित

(v) रेलवे/राज्य बिजली बोर्डों को कंपनियों अथवा निगमों द्वारा देय राशियों/भाड़ा प्रभार के समय पर भुगतान के लिए दी गई गारंटियां:-

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष कि शुरूआत में निधि में शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में चर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रूपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशीयों मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वत: नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों क ब्योरे और	अन्य महत्वपू ब्योरे
		(क)		(ख)		(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)

हस्ताक्षर/
मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित

(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष कि शुरूआत में निधि में शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में चर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रूपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशीयों मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वत: नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों क ब्योरे और	अन्य महत्वपू ब्योरे
		(क)		(ख)		(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष कि शुरूआत में निधि में शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में चर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रूपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशीयों मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वत: नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों क ब्योरे और	अन्य महत्वपू ब्योरे
		(क)		(ख)		(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित

(viii) कोई अन्य:-

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष कि शुरूआत में निधि में शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में चर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रूपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशीयों मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वत: नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों क ब्योरे और	अन्य महत्वपू ब्योरे
		(क)		(ख)		(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)

हस्ताक्षर/

मुख्य/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित